



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

बी. एस. मिरगे / B. S. Mirge

जन संपर्क एवं लोक सूचना अधिकारी

P.R.O. & Public Information Officer

27/2023-24/2138/ 358

दिनांक : 28/10/2023

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनांक 04.10.2023 (कार्यालय में दिनांक 05.10.2023 को प्राप्त) का संदर्भ ग्रहण करें। संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
1.	Why university not conducting exam of July-2022 session students	मांगी गई जानकारी लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नहीं आती
2.	Please provide the expected date of exam	परीक्षा नवंबर- दिसंबर में संभावित है
3.	Please provide my identity card which is not issued till now. In fees details at admission portal clearly mention the charges of ID CARD	समर्थ पोर्टल से आप अपना ID Card डाउनलोड कर सकते हैं
4.	Please provide the receipt of my assignment, project & practical submission	इस हेतु अपने अध्ययन केंद्र से संपर्क करें

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय

(बी. एस. मिरगे)